

राजस्थान सरकार
खान (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प.24(12)खान/गुप-2/09

जयपुर, दिनांक :

20 OCT 2011

निदेशक
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
उदयपुर ।

विषय: राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पट्टे / क्वारी लाइसेंस के हस्तांतरण के संबंध में ।

संदर्भ: शासन का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.03.2010 तथा पत्र क्रमांक प.20(12)खान/गुप-2/09 दिनांक 17.03.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रासांगिक पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पट्टे जो दिनांक 05.09.2000 से पूर्व के स्वीकृत हैं, उनका हस्तांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्रभावी नियम / नीति के अधीन किया जा सकेगा ।

SM: 11/11

2
21/10

भवदीय,

शासन उप सचिव